न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू
पीठासीन अधिकारी सुश्री श्वेता कोचर, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा	किस्म मुकदमा	ता0 दायरा	निर्णय तिथि
14/2014	दावा 88 RTA व 136 L.R.A.	20.02.2014	18.09.2019

1. मैनादेवी पत्नी यासीन खां
2. नबाबअली खां पुत्र यासीन खां
3. लाउ खां पुत्र यासीन खां
4. अयूब खां पुत्र यासीन खां
5. साबिर खां पुत्र यासीन खां

जाति कायमखानी मुसलमान निवासीगण चूरू

—वादीगण—

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार महोदय, चूरू

—प्रतिवादी—

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट एवं धारा 136 एल.आर. एक्ट

उपस्थित — 1. अधिवक्ता श्री भीमनाथ सिद्ध वादीगण
2. पैरोकार राज उपस्थित।

निर्णय

वादीगण की ओर से दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956 का पेश कर निवेदन किया कि रोही कस्बा चूरूमें एक कृषि भूमि ख.नं. 394 तादादी 7 बीघा, ख.नं. 426 तादादी 13.04 बीघा कुल तादादी 20.04 बीघा भूमि ममदूखां नजीरखां पिसरान सबदलखां जाति कायमखानी निवासी चूरू के नाम से बहिस्सा बराबर मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2051 पुरानी खतौनी सं. 320 एवं नई खतौनी सं. 311 के आधार पर खातेदारी में स्थित थी। यह कि पूर्व खातेदार नजीर खां अपने 1/2 हिस्सा की भूमि को जरिये पंजीकृत बैनामा 2 बीघा 2 विश्वा भूमि वादिनी को एवं 8 बीघा भूमि वादीगण सं. 2 से 5 को बहिस्सा बराबर विक्रय कर दी जिसके आधार पर वादीगण इस कुल कृषि भूमि 20.04 बीघा में से 1/2 हिस्सा के खातेदार काश्तकार हो गये जो इन्तकाल सं. 851 के द्वारा जमाबन्दी में इन्द्राज किया गया। यह कि इसके पश्चात् शेष 1/2 हिस्सा भूमि के खातेदार ममदू खां के स्वर्गवास होने पर जरिये इन्तकाल सं. 956 उसके हिस्से की भूमि उसकी पत्नी साहिबी बेवा ममदू खां व उम्मेद खां पुत्र ममदू खां के नाम से जमाबन्दी में 1/2 हिस्सा बहिस्सा बराबर भूमि अंकित की गई जिन्होंने अपनी इस 1/2 हिस्सा भूमि में से 2 बीघा भूमि पवनकुमार पुत्र शंकरलाल महनसरिया व शेष 8.02 बीघा भूमि मनोजकुमार पुत्र गोविन्दप्रसाद महनसरिया निवासी चूरू को पंजीकृत बैनामा से विक्रय कर दी जो इन्तकाल सं. 976 के द्वारा उनके नाम से खातेदारी में

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

अंकित की गई। यह कि इसके पश्चात् इसी न्यायालय में वादीगण ने अपने हिस्से की खातेदारी भूमि का विभाजन करवाने का एक वाद सं. 56/2000 अनवानी मैनादेवी वगैरा बनाम पवनकुमार वगैरा का प्रस्तुत किया जो बाद सुनवाई दिनांक 19.10.2010 को अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर इस वादगत आराजी ख.नं. 394 रकबा 7 बीघा, ख.नं. 426 तादादी 13.04 बीघा कुल 20.04 बीघा रोही कस्बा चूरू के पूर्वी हिस्सा का वादीगण मैनादेवी पत्नी यासीन खां, नबाबअलीखां लाउखां अयूबखां साबिरखां पिसरान यासीनखां जाति कायमखानी निवासी चूरू का 1/2 हिस्सा खातेदार काश्तकार राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी के द्वारा दर्ज किया गया। यह कि इस ख.नं. 394 एवं ख.नं. 426 में से चूरू से झारिया को सड़क निकलती है इसलिये इस रकबे में से 15 विश्वा भूमि सड़क में चली गई जिसके नये ख.नं. 1976/426 तादादी 15 विश्वा पी.डब्ल्यू.डी. के नाम से गैर मुमकिन सड़क के नाम से दर्ज कर दी गई और शेष भूमि के ख.नं. 2390/1977 तादादी 9.15 बीघा वादीगण के नाम न्यायालय के विभाजन की डिक्री के अनुसार जरिये इन्तकाल नं. 2156 दिनांक 21.04.2011 को वादीगण के नाम एवं शेष भूमि ख.नं. 394 तादादी 7 बीघा, ख.नं. 2389/1977 तादादी 2.14 बीघा भूमि कुल 9.14 बीघा पवनकुमार पुत्र शंकरलाल एवं मनोजकुमार पुत्र गोविन्दप्रसाद महनसरिया निवासी चूरू के नाम से इसी इन्तकाल से खातेदारी में दर्ज कर दी गई जो इसी अनुरूप राजस्व रिकार्ड में अलग-अलग खातेदारी में दर्ज व अंकित है और अलग-अलग मौके पर कब्जा में है जिसका कोई विवाद नहीं है।

यह कि न्यायालय सहायक जिला कलक्टर चूरू में एक दावा सं. 22/92 अनवानी ममदूखां बनाम राजस्थान सरकार का प्रस्तुत होकर न्यायालय से दिनांक 22.02.1995 को निर्णय पारित किया गया और उस निर्णय में यह माना गया कि ख.नं. 1383/426 तादादी 6 बीघा रोही चूरू की भूमि गत ख.नं. 982 वाके रोही चूरू का ही भाग है इसलिये बन्दोबस्त विभाग द्वारा इस ख.नं. 1383/426 तादादी 6 बीघा भूमि का राजस्व रिकार्ड में सिवाय चक के रूप में गलत अंकन हुआ है तथा यह भूमि वर्तमान ख.नं. 426 एवं 394 का ही भाग है तथा इस ख.नं. का 6 बीघा रकबा अलग से नहीं है परन्तु न्यायालय के द्वारा यह मानने के बाद भी राजस्व रिकार्ड में ख.नं. 1383/426 तादादी 6 बीघा रोही कस्बा चूरू की खातेदारी अलग से ममदूखां नजीरखां पिसरान सबदलखां के नाम से रिकार्ड में दर्ज कर दी गई जबकि वास्तविक स्थिति के अनुसार ख.नं. 394 तादादी 7 बीघा एवं ख.नं. 426 तादादी 13.04 बीघा कुल 20.04 बीघा के अलावा मौके पर राजस्व रिकार्ड एवं न्यायालय के निर्णय के अनुसार ख.नं. 1383/426 तादादी 6 बीघा की कोई भूमि उपलब्ध नहीं थी और न इस समय है। इसलिये ही इस बाबत खातेदार नजीरखां पुत्र सबदलखां एवं मु. शाहिबी बेवा ममदूखां व उम्मेदखां पुत्र ममदूखां जाति कायमखानी निवासी चूरू ने अपनी स्वेच्छा से दिनांक 31.07.1999 को एक इकरारनामा हम वादीगण एवं पवनकुमार पुत्र शंकरलाल व मनोजकुमार पुत्र गोविन्दप्रसाद महनसरिया के पक्ष में लिखवा कर तस्दीक करवाकर दिया था जो दावा के साथ में पेश है। यह कि इस ख.नं. 1383/426 तादादी 6 बीघा रोही चूरू में से 2.05 बीघा भूमि गैर मुमकिन सड़क में अलग से दर्ज कर दी गई है जिसके वर्तमान ख.नं. 1978/1383 हैं और अब वर्तमान जमाबन्दी में ममदूखां, नजीरखां पिसरान सबदलखां कायमखानी निवासी चूरू के नाम से ख.नं. 1979/1383 तादादी 3.15 बीघा का अंकन चला आ रहा है जो पूर्णतया गलत है क्योंकि मौके पर इस प्रकार का कोई रकबा उपलब्ध नहीं है और न कायम है।

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

यह कि मुताबिक राजस्व रिकार्ड ख.नं. 394 तादादी 7 बीघा एवं ख.नं. 426 तादादी 13.04 बीघा कुल 20.04 बीघा भूमि ही मौके पर इस रकबा की थी जिसमें से मुताबिक जमाबन्दी एवं नक्शा ख.नं. 2390/1977 तादादी 9.15 बीघा वादीगण की खातेदारी में और ख.नं. 394 तादादी 7 बीघा एवं ख.नं. 2389/1977 तादादी 2.14 बीघा कुल 9.14 बीघा मनोजकुमार वगेरा महनसरिया की खातेदारी में है। इसके अलावा अन्य कोई रकबा ख.नं. 1979/1383 तादादी 3.15 बीघा का मौके पर उपलब्ध नहीं है। इसलिये यह रिकार्ड गलत है और काबिल दुरूस्ती के है और वादीगण को दुरूस्त करवाने का अधिकार है क्योंकि राजस्व रिकार्ड में यह अंकन रहने से भविष्य में आगे चलकर किसी भी प्रकार के विवाद होने की सम्भावना रहती है। यह कि वादीगण ने प्रतिवादी के समक्ष उपस्थित होकर अनेकों बार इस बात के लिये निवेदन किया एवं गलत रिकार्ड को दुरूस्त करवाने का आग्रह किया परन्तु प्रतिवादी ने वादीगण की बात पर कोई गौर नहीं किया और दिनांक 14.02.2014 को चूरू में मानने से इन्कार कर दिया इसलिये यही इस दावे का कारण है और दावे का आधार वादी को रिकार्ड में चले आ रहे गलत इन्द्राज को दुरूस्त करवाने का हर समय अधिकार है। यह कि प्रतिवादी के विरूद्ध दावा प्रस्तुत करने से पहले दफा 80 जाब्ता दीवानी का नोटिस दिये जाने का प्रावधान है परन्तु वादीगण के इस दावा में उनके खिलाफ कोई प्रतिकूल अनुतोष नहीं चाहा गया इसिलये उनको बिना दफा 80 जाब्ता दीवानी के नोटिस दिये ही पक्षकार मुकदमा बनाया गया है। यह कि वादगत कृषि भूमि एवं पक्षकारान का निवास स्थान अदालतवाला के अधिकार क्षेत्र में है और अदालतवाला को दावा हाजा के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार होने से उचित कोर्ट फीस पर अन्दर मियाद पेश है।

अतः दावा हाजा प्रस्तुत कर निवेदन है कि दावा बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादी नीचे लिखे अनुसार डिक्री फरमाया जावेः–

(क) घोषित किया जावे कि ख.नं. 426 तादादी 13.04 बीघा, ख.नं. 394 तादादी 7 बीघा कुल 20.04 बीघा रोही कस्बा चूरू से अलग ख.नं. 1383/426 तादादी 6 बीघा भूमि का कोई रकबा राजस्व रिकार्ड के अनुसार मौके पर अलग से कभी नहीं रहा और न इस समय है तथा ख.नं. 1383/426 तादादी 6 बीघा रोही कस्बा चूरू का अंकन ममदूखां व नजीरखां पिसरान सबदलखां जाति कायमखानी निवासी चूरू के नाम से गलत अंकन हुआ है तथा इसी प्रकार वर्तमान जमाबन्दी ख.नं. 1979/1383 तादादी 3.15 बीघा रकबा का खातेदारी में इन्दाज गलत चला आ रहा है जिसको कलमजन किया जावे और वर्तमान जमाबन्दी और राजस्व रिकार्ड में इस ख.नं. को हटाया जावे।

(ख) खर्चा मुकदमा वादीगण को प्रतिवादी से दिलवाया जावे।

(ग) अन्य कोई न्यायोचित अनुतोष जो वादीगण के हितकर हो अथवा हो जावे वह भी प्रदान करें।

वादीगण की ओर से प्रस्तुत दावा न्यायालय के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की जरिये सम्मन तलबी की गई जिस पर प्रतिवादी की ओर से पैरोकार राज उपस्थित हुए एवं जवाबदावा हेतु समय चाहा। काफी अवसर व समय दिया जाने के बावजूद भी जवाबदावा पेश नहीं करने पर जवाब अवसर बन्द किया जाकर पत्रावली

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

साक्ष्यवादी में नियत की गई। साक्ष्यवादी में गवाह अयूब खां पुत्र यासीन खां ने उपस्थित होकर साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया जिनके बयान लेखबद्ध किये गये। पैरोकार राज के अनुपस्थित रहने से जिरह शून्य रही। तत्पश्चात् वकील वादीगण की ओर से मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर मौका रिपोर्ट मंगवाने बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया जो उपयुक्त पाये जाने पर तहसीलदार, चूरू से वादगत कृषि भूमि का तथ्यात्मक विवरण मंगवाने हेतु पत्र जारी किया गया। तहसीलदार, चूरू से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जिस पर वकील वादीगण की ओर से आपत्ति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि तहसीलदार, चूरू द्वारा बिना मौका निरीक्षण के एकतरफा रूप से मात्र रिकार्ड के आधार पर तैयार कर पेश गई है जो पुनः मंगवाई जावे। वादीगण का प्रार्थना पत्र उचित पाया जाने पर तहसीलदार, चूरू से विस्तृत मौका रिपोर्ट मंगवाने हेतु तहरीर जारी की गई। तहसीलदार चूरू से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शामिल मिसल की जाकर पत्रावली मौका रिपोर्ट पर बहस हेतु नियत की गई।

तहसीलदार, चूरू से प्राप्त मौका रिपोर्ट पर वकील वादीगण ने आपत्ति प्रकट की जिस पर वकील वादीगण को सुना जाकर रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। तहसीलदार चूरू द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में मात्र राजस्व रिकार्ड की स्थिति का वर्णन किया जाना पाया गया, वादगत कृषि भूमि की मौके की वास्तविक स्थिति के सम्बन्ध में कोई तथ्य अंकित नहीं होना पाया गया जिस पर तहसीलदार, चूरू को वादगत कृषि भूमि के मौके पर जाकर मौके का निरीक्षण कर मौके की वास्तविक वस्तुस्थिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये गये। तहसीलदार, चूरू से विस्तृत मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई एवं वकील वादीगण ने सूची के संलग्न दस्तावेज तहसीलदार, चूरू एवं रिपोर्ट पटवारी हल्का चूरू की रिपोर्ट दिनांक 17.01.95 मय नजरी नक्शा पैमाईश की प्रमाणित प्रतियां पेश की जो शामिल पत्रावली की जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

दावा पर वकील वादीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता वादीगण ने दावा में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए जाहिर किया कि वादगत कृषि भूमि ख.नं. 1383/426 तादादी 6 बीघा के वर्तमान ख.नं. 1979/1383 तादादी 3.15 बीघा रोही चूरू की भूमि वादीगण के नाम अंकित खातेदारी कृषि भूमि ख.नं. 2390/1977 तादादी 9.15 बीघा के पूर्व खसरा नम्बर 426 का ही भाग है। ख.नं. 1979/1383 में वर्तमान में अंकित खातेदार अपनी सम्पूर्ण खातेदारी भूमि का विक्रय वादीगण एवं पवनकुमार महनसरिया आदि को विक्रय कर चुके हैं तथा उक्त ख. नं. 1979/1383 तादादी 3.15 बीघा रकबा की पृथक् से कोई भूमि मौके पर मौजूद नहीं है। उक्त तथ्य वादगत कृषि भूमि के सम्बन्ध में चले दावा सं. 56/2000 अनुवानी मैनादेवी आदि बनाम पवनकुमार आदि निर्णय दिनांक 19.10.10, दावा सं. 22/92 अनुवानी ममदू खां आदि बनाम राजस्थान सरकार निर्णय व डिक्री दिनांक 22.02.95, तहसीलदार, चूरू द्वारा पेश मौका रिपोर्ट दिनांक 17.01.95 एवं मौका रिपोर्ट दिनांक 26.08.19 से पूर्णतः साबित होता है। हमने साक्ष्यवादी द्वारा दावा में पेश दस्तावेजात को प्रमाणित कराया है जिनसे दावा वादीगण के पक्ष में साबित होता है। अतः दावा वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री फरमाया जावे तथा वर्तमान में गलत रूप से ममदू खां, नजीरखां पिसरान सबदलखां जाति कायमखानी निवासी चूरू की खातेदारी में दर्ज चले आ रहे ख.नं. 1979/1383 तादादी 3.15 बीघा रोही कस्बा चूरू को राजस्व रिकार्ड से कलमजन करने का आदेश फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

वकील वादीगण की बहस सुनी जाकर पत्रावली एवं पेश दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन व चिन्तन मनन किया किया गया। वादीगण ने अपने दावा को प्रमाणित कराने के लिए प्रदर्श–1 से प्रदर्श–15 तक पेश किये हैं। प्रदर्श–1 वादगत कृषि भूमि की प्रमाणित प्रति जमाबन्दी सम्वत् 2067 से 2070 रोही चूरू ख.नं. 1979/1383 तादादी 3.15 बीघा है जिसमें ममदूखां, नजीरखां पि. सबदलखां जाति कायमखानी सा. चूरू खातेदार अंकित हैं। प्रदर्श–2 वादगत कृषि भूमि की प्रमाणित प्रति जमाबन्दी सम्वत् 2067 से 2070 रोही चूरू ख.नं. 394, 1977/426 कुल तादादी 19.09 बीघा है जिसमें वादीगण 1/2 हिस्सा ब.हि.ब. एवं पवनकुमार पुत्र शंकरलाल व मनोजकुमार पुत्र गोविन्दप्रसाद महनसरिया 1/2 हिस्सा के खातेदार अंकित है तथा न्यायालय आदेश से दर्ज नामान्तरकरण सं. 2156 दिनांक 21.04.2011 के अनुसार खाता विभाजन होकर उक्त भूमि में से ख.नं. 394 व 2389/1977 कुल तादादी 9.14 बीघा रकबा पवनकुमार पुत्र शंकरलाल व मनोजकुमार पुत्र गोविन्दप्रसाद महनसरिया निवासी चूरू की एवं ख.नं. 2390/1977 तादादी 9.15 बीघा रकबा वादीगण की खातेदारी में दर्ज हुआ है। प्रदर्श–4, 5 व 6 छाया प्रतियां नकल नक्शा है। प्रदर्श–7 प्रमाणित प्रति नकल जमाबन्दी सम्वत् 2063 से 2066 रोही चूरू में ख. नं. 1976/426 तादादी 0.15 बीघा व ख.नं. 1978/1383 तादादी 2.05 बीघा रकबा गै.मु. सड़क के नाम दर्ज है। प्रदर्श–8 प्रमाणित प्रति नकल जमाबन्दी सम्वत् 2063 से 2066 रोही चूरू में ख. नं. 1979/1383 तादादी 3.15 बीघा रकबा में ममदूखां, नजीरखां पि. सबदलखां जाति कायमखानी सा.चूरू खातेदार दर्ज हैं। प्रदर्श–9 प्रमाणित प्रति नकल जमाबन्दी सम्वत् 2063 से 2066 रोही चूरू में ख.नं. 394 तादादी 7 बीघा व ख.नं. 1977/426 तादादी 12.09 बीघा रकबा पवनकुमार व मनोजकुमार महनसरिया के साथ वादीगण के नाम खातेदारी दर्ज है। प्रदर्श–10 नकल जमाबन्दी सम्वत् 2051 से 2054 रोही चूरू ख.नं. 394 तादादी 7 बीघा व ख.नं. 426 तादादी 13.04 बीघा कुल 20.04 बीघा रकबा में ममदूखां, नजीरखां पि. सबदलखां जाति कायमखानी सा.चूरू खातेदार दर्ज हैं। उक्त जमाबन्दी में इन्तकाल सं. 851 दिनांक 21.08.95 के द्वारा 1/2 हिस्सा भूमि वादीगण द्वारा नजीरखां से उसका हिस्सा खरीद कर लेने पर उनके नाम वादीगण के नाम दर्ज हुई है। ममदूखां का स्वर्गवास हो जाने से जरिये विरासतन इन्तकाल सं. 956 दिनांक 30.08.96 के शेष 1/2 हिस्सा भूमि ममदूखां की पत्नी साहिबी व पुत्र उम्मेदखां के नाम दर्ज हुई एवं साहिबी आदि द्वारा उक्त 1/2 हिस्सा पवनकुमार आदि को विक्रय कर देने से पवनकुमार आदि के नाम दर्ज हुई है। प्रदर्श–11 नकल जमाबन्दी सम्वत् 2055 से 2058 रोही चूरू में ख.नं. 1383/426 तादादी 6 बीघा रकबा में ममदूखां, नजीरखां पि. सबदलखां जाति कायमखानी सा.चूरू खातेदार दर्ज हैं। प्रदर्श–12 नकल जमाबन्दी सम्वत् 2055 से 2058 रोही चूरू में ख.नं. 394 तादादी 7 बीघा व ख.नं. 426 तादादी 13.04 बीघा कुल 20.04 बीघा रकबा में पवनकुमार आदि 1/2 हिस्सा व वादीगण 1/2 हिस्सा के खातेदार दर्ज हैं। प्रदर्श–13 छाया प्रति फर्द अहकाम दिनांक 20.05.10 से 19.10.10 मु.नं. 22/2010 अनुवानी मैनादेवी आदि बनाम पवनकुमार आदि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चूरू है जिसके निर्णय दिनांक 19.10.10 में तत्समय के पक्षकारान में हुए राजीनामा में ख.नं. 1383/426 का अलग से रकबा नहीं होकर ख. नं. 426 का ही भाग माना जाना अंकित हैं। उक्त निर्णय के द्वारा वादीगण एवं पवनकुमार आदि का खाता विभाजन होकर अलग अलग खाते कायम हुए हैं। प्रदर्श–14 छाया प्रति नकल डिक्री दिनांक 19.10.2010 मु.नं. 56/2000 अनुवानी मैनादेवी आदि बनाम पवनकुमार आदि है। प्रदर्श–15 छाया प्रति नकल निर्णय दिनांक 22.02.95 मु. नं. 22/92 अनुवानी ममदूखां आदि

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

बनाम राजस्थान सरकार न्यायालय सहायक कलक्टर, चूरू है जिसमें बाद साक्ष्य निर्णित किया गया है कि विवादित ख.नं. 1383/426 तादादी 6 बीघा वाके रोही चूरू वादीगण ममदूखां, नजीरखां पि.सबदलखां की खातेदारी भूमि है तथा गत ख.नं. 982 रोही चूरू जिससे नवीन ख.नं. 432, 425, 394 व 426 बने हैं, का ही भाग है। ख.नं. 1383/426 की पृथक् से कोई भूमि मौके पर मौजूद नहीं है। उक्त निर्णय में गवाहों के बयानों एवं दस्तावेजों से यह तथ्य भी साबित हुआ है कि ख.नं. 394 व 426 के साथ-साथ ख.नं. 1383/426 तादादी 6 बीघा सिवाय चक रकबा को शामिल करने पर ही भूमि का रकबा पूरा होता है जिससे स्पष्ट होता है कि ख.नं. 1383/426 तादादी 6 बीघा भूमि सिवाय चक भूमि नहीं है, बन्दोबस्त विभाग द्वारा गलत अंकन किया गया है। भू-अभिलेख निरीक्षक, चूरू द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट दिनांक 26.08.19 का अवलोकन किया गया जिसमें अंकित आया है कि रोही ग्राम चूरू के ख.नं. 2389/1977, 394 पवनकुमार पुत्र शंकरलाल, मनोजकुमार पुत्र गोविन्दप्रसाद जाति अग्रवाल नि. चूरू ब.हि.ब. व ख.नं. 2390/1977 अयूबखां, नबाबखां, लाउखां, साबिरखां पि.यासीनखां वगैरह तथा ख.नं. 1979/1383 नजीरखां, ममदूखां पि. सबदलखां जाति कायमखानी ब.हि.ब. राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त भूमि का मौके पर माप किया गया, मौके पर 19.09 बीघा पाई गई। ख.नं. 1979/1383 तादादी 3.05 बीघा की भूमि मौके पर नहीं है। मौके पर ख.नं. 2389/1977, 2390/1977 व 394 खसरों की भूमि है जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। ख.नं. 1979/1383 जो रिकार्ड में दर्ज है किन्तु मौके पर भूमि नहीं है। उक्त तथ्य की पुष्टि वादीगण द्वारा पेश तहसीलदार, चूरू मय हल्का पटवारी कस्बा चूरू की रिपोर्ट दिनांक 17.01.95 से भी होती है जिसमें पटवारी द्वारा मौके पर ख.नं. 394 तादादी 7 बीघा व ख.नं. 426 तादादी 13.04 बीघा का नापकर पैमाईश करने के बाद 19.01 बीघा भूमि पाई गई एवं इसी खेत में से 1383/426 तादादी 6 बीघा सिवाय चक रेकार्ड में दर्ज होना बताया है।

पत्रावली एवं पेश प्रदर्श-1 से प्रदर्श-15 एवं रिपोर्ट भू-अभिलेख निरीक्षक, चूरू दिनांक 26.08.19, रिपोर्ट पटवारी हल्का चूरू दिनांक 17.01.95 के अवलोकन व मनन से यह स्पष्ट होता है कि वादगत कृषि भूमि ख.नं. 394 तादादी 7 बीघा, ख.नं. 426 तादादी 13.04 बीघा व ख.नं. 1383/426 तादादी 6 बीघा वाके रोही चूरू एक ही भूमि रकबा 20.04 बीघा के भाग रहे हैं। उक्त भूमि में से ख.नं. 1383/426 तादादी 6 बीघा का कोई रकबा पृथक से मौके पर मौजूद नहीं है। ख.नं. 394 व 426 कुल तादादी 20.04 बीघा का रकबा ख.नं. 1383/426 तादादी 6 बीघा को शामिल करने पर ही 20.04 बीघा पूरा होता है। बन्दोबस्त विभाग द्वारा सम्वत् 2028 में सहवन से ख.नं. 1383/426 तादादी 6 बीघा का रकबा राजस्व रिकार्ड में गलत रूप से सिवाय चक दर्ज कर दिया गया था जो ख.नं. 394 व 426 के खातेदारों ममदू व नजीरखां के दावा के निर्णय से इन्तकाल सं. 820 के जरिये सिवाय चक से हटाया जाकर उनकी खातेदारी में दर्ज किया गया परन्तु राजस्व रिकार्ड दुरूस्त नहीं किया गया जिससे ख.नं. 1383/426 तादादी 6 बीघा रकबा ममदूखां, नजीरखां पि. सबदलखां के नाम खातेदारी में दर्ज चलता रहा। इस दौरान नजीरखां ने ख.नं. 394, 426 में से अपना 1/2 हिस्सा वादीगण को विक्रय कर दिया जिससे यह हिस्सा वादीगण के नाम खातेदारी में दर्ज हो गया। ममदूखां का स्वर्गवास हो जाने पर उसका 1/2 हिस्सा साहिबी बेवा ममदूखां व उम्मेदखां पुत्र ममदूखां के नाम दर्ज हो गया जो उन्होंने पवनकुमार आदि को विक्रय कर दिया जिससे ममदूखां के 1/2 हिस्से की भूमि पवनकुमार आदि

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

के नाम दर्ज हो गई। तत्पश्चात् उक्त खसरा नम्बर 426 व 1383/426 में से सड़क बन गई जिससे ख.नं. 426 में से 0.15 व ख.नं. 1383/426 में से 2.05 बीघा रकबा गै.मु. सड़क के नाम दर्ज हो गया जिसके ख.नं. क्रमशः 1976/426 व 1978/1383 हैं तथा शेष ख.नं. 394 व 1977/426 कुल तादादी 19.09 बीघा भूमि वादीगण के 1/2 हिस्सा व पवनकुमार आदि के 1/2 हिस्सा खातेदारी में दर्ज रही तथा उपरोक्त विवादित ख.नं. 1383/426 की शेष 3.15 बीघा भूमि ममदूखां पि. सबदलखां के नाम खातेदारी में दर्ज चलती रही । वादीगण ने अपनी खातेदारी के 1/2 हिस्सा भूमि के खाता विभाजन का दावा सं. 22/2010 इस न्यायालय में पेश किया जिसके निर्णय व डिक्री दिनांक 19.10.2010 के द्वारा खाता विभाजन होकर उक्त भूमि में से ख. नं. 394 तादादी 7.00 बीघा व 2389/1977 तादादी 2.14 बीघा रकबा पवनकुमार आदि के नाम दर्ज हुआ तथा ख.नं. 2390/1977 तादादी 9.15 बीघा रकबा वादीगण के नाम दर्ज हुआ। ख.नं. 1979/1383 तादादी 3.15 बीघा का रकबा वर्तमान में ममदूखां, नजीरखां पि. सबदलखां जाति कायमखानी निवासी चूरू के नाम खातेदारी में दर्ज चला आ रहा है जिसको दुरूस्त करवा कर राजस्व रिकार्ड से ख.नं. 1979/1383 तादादी 3.15 बीघा रकबे को हटाया जाकर ममदूखां व नजीरखां के नाम राजस्व रिकार्ड से कलमजन करवाने हेतु वादीगण ने यह दावा पेश किया है। प्रतिवादी राजस्थान सरकार की ओर से दावा के विरोध में कोई जवाब या साक्ष्य पेश नहीं किया गया है जबकि वादीगण ने अपने दावा एवं पेश दस्तावेजात को साक्ष्यवादी से प्रमाणित करवा कर दावा को अपने पक्ष में साबित किया है।

प्रस्तुत प्रकरण में वादीगण की ओर से पेश प्रदर्श–1 से प्रदर्श–15 एवं रिपोर्ट पटवारी व भू–अभिलेख निरीक्षक कस्बा चूरू दिनांक 17.01.95 व 26.08.19 से यह स्पष्ट होता है कि वादगत कृषि भूमि के तत्कालीन खातेदार ममदूखां, नजीरखां पि. सबदलखां की खातेदारी की कुल भूमि 20.04 बीघा थी जिसमें ख.नं. 1383/426 तादादी 6 बीघा का रकबा शामिल था। उक्त खातेदार अपनी खातेदारी की सम्पूर्ण 20.04 बीघा भूमि पवनकुमार आदि व वादीगण को विक्रय कर चुके हैं जिससे वर्तमान में उनकी खातेदारी की कोई भूमि वर्तमान में शेष नहीं रही है फिर भी ममदूखां आदि के नाम 3.15 बीघा रकबा गलत रूप से राजस्व रिकार्ड में दर्ज चला आ रहा है। पत्रावली पर पेश प्रदर्श–1 से 15 एवं मौका रिपोर्टों से यह तथ्य स्पष्ट हो चुका है कि विवादग्रस्त ख.नं. 1383/426 तादादी 6.00 बीघा का कोई पृथक् से मौके पर मौजूद नहीं है तथा उक्त रकबा ख. नं. 394 व 426 का ही भू–भाग है। प्रदर्श–15 निर्णय व डिक्री 22.02.95 में बाद साक्ष्य उक्त तथ्य की पुष्टि हो चुकी है जिसमें न्यायालय ने यह माना है कि बन्दोबस्त विभाग द्वारा ख.नं. 1383/426 तादादी 6 बीघा का पृथक से किया गया अंकन गलत है जो गलत होने से दुरूस्त किया जाकर राजस्व रिकार्ड से हटाया जाने योग्य है। वादीगण ने अपने दावा में अंकित तथ्यों को दस्तावेजी साक्ष्यों से प्रमाणित कराया है। इस प्रकार दावा वादीगण के पक्ष में भली भांति साबित होता है इसलिए वादीगण वादगत कृषि भूमि पूर्व ख.नं. 1383/426 तादादी 6 बीघा का ममदूखां, नजीरखां पि.सबदलखां के नाम खातेदारी में हुए अंकन को गलत घोषित करवाकर वर्तमान ख.नं. 1979/1383 तादादी 3.15 बीघा (0.9485 हैक्टेयर) रोही चूरू की खातेदारी में गलत दर्ज चले आ रहे इन्द्राज को कलमजन करवाकर वर्तमान जमाबन्दी एवं राजस्व रिकार्ड से हटवाने के अधिकारी हैं तथा दावा वादीगण स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी

चूरू

निर्णय

अतः उपरोक्त विस्तृत विश्लेषण के आधार पर वादीगण की ओर से प्रस्तुत दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. एवं धारा 136 एल.आर. एक्ट का वादीगण के पक्ष में साबित होने से स्वीकार किया जाकर डिकी किया जाता है एवं घोषित किया जाता है कि वादगत कृषि भूमि ख.नं. 426 तादादी 13.04 बीघा, ख.नं. 394 तादादी 7 बीघा कुल 20.04 बीघा रोही कस्बा चूरू से अलग ख. नं. 1383/426 तादादी 6 बीघा भूमि का कोई रकबा राजस्व रिकार्ड के अनुसार मौके पर अलग से कभी नहीं रहा और न इस समय है तथा ख.नं. 1383/426 तादादी 6 बीघा रोही कस्बा चूरू का अंकन ममदूखां व नजीरखां पिसरान सबदलखां जाति कायमखानी निवासी चूरू के नाम से गलत अंकन हुआ है तथा इसी प्रकार वर्तमान जमाबन्दी में ख.नं. 1979/1383 तादादी 3.15 बीघा (0.9485 हैक्टेयर) रकबा का खातेदारी में इन्द्राज गलत चला आ रहा है जिसको कलमजन किया जावे और वर्तमान जमाबन्दी और राजस्व रिकार्ड में इस ख.नं. 1979/1383 व रकबा 3.15 (0.9485 हैक्टेयर) को हटाया जावे। डिकी पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 18.09.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रकाश कोकर)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, चूरू
चूरू

डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
(CIVIL PROCEDURE CODE, APPENDIX "D")
अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम चूरू

इजलास : सुश्री श्वेता कोचर आर0ए0एस0

1. मैनादेवी पत्नी यासीन खां
2. नबाबअली खां पुत्र यासीन खां
3. लाउ खां पुत्र यासीन खां
4. अयूब खां पुत्र यासीन खां
5. साबिर खां पुत्र यासीन खां

} जाति कायमखानी मुसलमान निवासीगण चूरू

–वादीगण–

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार महोदय, चूरू

–प्रतिवादी–

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट एवं धारा 136 एल.आर. एक्ट
मुकदमा नं. 14 सन् 2014

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू हमारे हाजरी श्री भीमनाथ सिद्ध एडवोकेट वादीगण मिनजानिब मुदईब व पैरोकार राज मिनजानिब मुदाएलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि:–

वादीगण की ओर से प्रस्तुत दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. एवं धारा 136 एल.आर. एक्ट का वादीगण के पक्ष में साबित होने से स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है एवं घोषित किया जाता है कि वादगत कृषि भूमि ख.नं. 426 तादादी 13.04 बीघा, ख.नं. 394 तादादी 7 बीघा कुल 20.04 बीघा रोही कस्बा चूरू से अलग ख.नं. 1383/426 तादादी 6 बीघा भूमि का कोई रकबा राजस्व रिकार्ड के अनुसार मौके पर अलग से कभी नहीं रहा और न इस समय है तथा ख.नं. 1383/426 तादादी 6 बीघा रोही कस्बा चूरू का अंकन ममदूखां व नजीरखां पिसरान सबदलखां जाति कायमखानी निवासी चूरू के नाम से गलत अंकन हुआ है तथा इसी प्रकार वर्तमान जमाबन्दी में ख.नं. 1979/1383 तादादी 3.15 बीघा (0.9485 हैक्टेयर) रकबा का खातेदारी में इन्द्राज गलत चला आ रहा है जिसको कलमजन किया जावे और वर्तमान जमाबन्दी और राजस्व रिकार्ड में इस ख.नं. 1979/1383 व रकबा 3.15 (0.9485 हैक्टेयर) को हटाया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

यह डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 18 माह सितम्बर सन् 2019 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, चूरू